



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना-14

(An Autonomous Institute of Government of Bihar
Statutory University Created by an Act of Bihar State Legislature)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

ज्ञापांक: - इ०गाँ०आ०सं० / 2020 / / मे०काँ० दिनांक: - / 06 / 2020

कार्यालय आदेश

पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 261/मे०काँ०, दिनांक 18/05/2020 द्वारा COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए दिनांक 31/05/2020 तक संस्थान के MBBS का सभी शैक्षणिक कार्य (Online Classes एवं Assessment) बढ़ाया गया था।

पुनः Ministry Of Home Affairs, Govt. of India द्वारा वर्तमान COVID-19 का प्रसार रोकने के संबंध में निर्गत Notification No. 40-03/2020-DM-1(A) दिनांक 30/05/2020 द्वारा चूके कुछ शर्तों के साथ पाचवें फेज का Lockdown पुनः दिनांक 30/06/2020 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके दिशानिर्देश की कंडिका दो (02) में सभी स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों एवं कोचिंग इत्यादि को दिनांक 30/06/2020 तक बंद रखने का आदेश है, एवं बिहार सरकार का गृह विभाग अपने आदेश संख्या-जी/ आपदा-06-02/2020-321/अ.मु.सं. को पटना, दिनांक 31.05.2020 द्वारा उपरोक्त आदेश को ही अनुपालन करने का आदेश निर्गत किया गया है। इसलिए पूर्व की भाँति सिर्फ Online Classes ही चालू रखा जाएगा।

अतः इस आलोक में सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत पूर्व निर्गत आदेश संख्या 261/मे०काँ०, दिनांक 18/05/2020 को दिनांक 30/06/2020 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त अवधि में सभी शैक्षणिक कार्य (Online Classes एवं Assessment) पूर्व की भाँति यथावत चलता रहेगा।

निदेशक के आदेशानुसार

ह०/-

प्राचार्य,

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक : - इ०गाँ०आ०सं० / 2020 / 275 / मे०काँ०

दिनांक: - 01 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग/ संकायाध्यक्ष (एकेडमिक)/संकायाध्यक्ष (परीक्षा)/प्रभारी प्राध्यापक (स्टूडेंट्स वेलफेयर)/ चिकित्सा अधीक्षक I & II/संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

- S.E. (BME) for uploading on Institute website
- सभी संबंधित सूचना पट्ट।

प्राचार्य,

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14